तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCMS-2024/291 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उनवानी शैतान आदि बनाम फुलचन्द आदि मु0सं0 261/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-09-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजों की सूची कुल दस्तावेज 16 एवं वकील अप्रार्थी ने दस्तावेजों की सूची कुल दस्तावेज 05 पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 26.09.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज०)	
26-09-2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश। वकुलाय उप0। प्रा0 पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने पेशशुदा लिखित बहस व मूल प्रा0 पत्र टी0 आई0 में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रा0 पत्र टी0 आई0 स्वीकार कर टी0 आई0 कन्फर्म करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0 पत्र टी0 आई0 में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रा0 पत्र टी0 आई0 भारी हर्जे के साथ खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जवाब प्रा0 पत्र टी0 आई0, प्रार्थीगण की लिखित बहस एवं पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रा0 पत्र टी0 आई0 में प्रार्थीगण ने रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन ले रखा हैं जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि में सहखातेदार भी नही हैं एवं न ही उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि हैं। प्रार्थी नं0 1 ने विवादित भूमि को अपनी बताकर दिनांक 29.11.2002 को सतीशचन्द पुत्र मुरारीलाल शर्मा निवासी भूषणकलां नारनौल को जरिये बैनामा विक्रय कर दिया था जिस पर पुलिस में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान जारी हैं। अप्रार्थी बंशी पुत्र श्योजी के नाम का एक अन्य व्यक्ति बंशी पुत्र छोटू द्वारा फर्जी तरीके से फर्जी पंजीकृत बैनामा तस्दीक करवाया गया जिसकी शिका[illegible] पर तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 30.05.2024 को फर्जी [illegible] बैनामा के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं0 701 को [illegible] कर दिया गया। उक्त फर्जी व्यक्ति के संबंध में भी पुलिस में मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान जारी हैं। उक्त तथ्यों से प्रा0 पत्र टी0 आई0 के तीन मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा हैं। क्योंकि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार नही हैं एवं रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन दिये जाने से अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होती हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:56:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए

द्वारा विवादित भूमि के रिकार्ड में परिवर्तन वास्ते किये गये फर्जीवाड़े से सुविधा का सन्तुलन भी नही पाया गया हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रा0 पत्र टी0 आई0 इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:56:23 IST
Reason: SelfAttested